तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गोमन्दराम बनाम देवीगर

31-10-25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 18-11-25 को पेश हो।

18-11-25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि उक्त अपील अपीलांट गोमन्दराम द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 16–12–2024 को प्रस्तुत की गई है। परन्तु अपीलांट गोमन्दराम पुत्र तारूराम का देहान्त दिनांक 19–01–2017 को ही हो चुका था। गोमन्दराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। मृत व्यक्ति के नाम से प्रस्तुत यह अपील एब इनिशियों वॉइड अपील है। जो विधि की दृष्टि में Nullity होने से चलने योग्य नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमावे।

अभिभाषक अपीलांट ने जवाब बहस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त अपील उपखण्ड़ अधिकारी, लूणकरणसर के आदेश दिनांक 06–06–2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश दिनांक 06–06–2022 के द्वारा चक 10 बी.एच.एम. तहसील लूणकरणसर के मुरब्बा नम्बर 5/48 के किला नम्बर 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14 का आवंटन मीडियम पेच में किया गया है। उक्त भूमि के समीपसी काश्तकार गोमन्दराम पुत्र तारूराम एवं धन्नी, चन्दुराम, रतीराम पुत्र गोमन्दराम हैं। उक्त अपील गोमन्दराम के पुत्र चन्दुराम द्वारा पेश की गई है। सहबन से अपील पेश करने समय अपीलांट के स्थान पर चन्दुराम पुत्र गोमन्दराम की बजाय गोमन्दराम पुत्र तारूराम अंकित हो गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गोमन्दराम पुत्र तारूराम के स्थान पर चन्दुराम पुत्र गोमन्दराम संशोधन किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा चन्दूराम का वकालतनामा पेश नही किया गया है। इसलिए अपील अबेट किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट गोमन्दराम की मृत्यु दिनांक 19–01–2017 को हो चुकी थी। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि गोमन्दराम हस्तगत अपील में एकमात्र अपीलांट है। हस्तगत अपील दिनांक 26–12–2024 को प्रस्तुत हुई। इससे यह स्पष्ट है कि यह अपील मृत व्यक्ति के नाम से पेश हुई है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किये गये कि त्रुटिवंश अपीलांट की जगह चंदूराम के स्थान पर गोमन्दराम का नाम दर्ज हो गया। परन्तु अपील मीमो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि चंदूराम को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। इस सूरत में अपीलांट का कथन मानने योग्य नही है। वकालतनामा के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस पर अंगुठा निशानी की गई है जिसके नीचे गोमन्दराम अंकित है। यह अंगुठा निशानी किसके द्वारा की गई है, यह संदिग्ध एवं जॉच का विषय है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के साथ कोई वकालतनामा संलग्न नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं सपठित धारा 151 जाब्ता खारिज किया जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील विधि की दृष्टि में मृत व्यक्ति के नाम से पेश की गई है। जो कि Nullity होने से चलने योग्य नही है। साथ ही अपील में कई विधिक त्रुटियॉ है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट स्वीकार कर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलांट कानूनी त्रुटियॉ दुरूस्त कर पुनः अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते